आव्रजन का कारण

जो लोग भरती किये जाते थे उनके बारे में 1883 में बंगाल सरकार ने लिखा था : "यदि फसल अच्छी होती है तो बाहर मजदूर भेजने पर प्रभाव पड़ता है। ये वे आर्थिक नियम हैं जिनको किसी वैध कार्यकारी या विधायी कार्यवाही से संचालित नहीं किया जा सकता था। कानून या नियमों में कोई सुधार किया जाये, लेकिन जब भारतीय मजदूर घर पर अच्छी मजदूरी पाता है जो उसे आसानी से खाना और कपड़ा प्रदान कर सके, तो वह आव्रजन के लिए प्रोत्साहित नहीं होगा।"

जिन राज्यों से जिन वर्षों में भारतीय मजदूर गए उनका उन वर्षों की आर्थिक प्रगति से, यानी वहां फसल अच्छी हुई या सूखा पड़ा, बाढ़ आई या अकाल हुआ, इसका सीधा सम्बंध है। उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में काला पानी पार करने और प्रवास करने पर सबसे अधिक सामाजिक प्रतिबन्ध था और जाति जाने का अंदेशा था। इसका कुप्रभाव यह होता था कि उसका अपने सम्बंधियों से सम्बंध टूट जाता था और उसके पुत्र-पुत्रियों के विवाह असम्भव हो जाते थे, भले ही उसकी आर्थिक स्थिति कैसी ही क्यों न हो। यदि ये लोग प्रवास के लिए तैयार होते थे तो उसका कारण यही था कि उन क्षेत्रों में धरती उनके लिए पर्याप्त अन्न नहीं देती थी।

जैसा कि हम लिख चुके हैं, बंगाल और बिहार के आदिवासियों को शर्तबन्द मजदूरी प्रथा में पसन्द किया जाता था। कारण यह था कि वे लोग सीधे-सादे थे, कार्य करने में हृष्ट-पुष्ट थे और कलकत्ते के पड़ौस में होने के कारण उन्हें कलकत्ता ले जाना आसान पड़ता था। पर जब आसाम के चाय बाग़ानों में शर्तबन्द मजदूरी प्रथा प्रारम्भ हुई और लोगों को मालूम हुआ कि आसाम से लौटकर आना विदेशों से लौटकर आने से आसान है तो ऐसे मजदूर आसाम के चाय बाग़ान में जाने लगे। प्रारम्भिक वर्षों में फीजी में जो मजदूर गये उनमें अधिकांश बिहार से थे। लिओनिडास पर जाने वालों में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग काफी संख्या में थे और उसके बाद बिहार की संख्या काफी रही। सन् 1884 में जितने लोग फीजी गये उनमें 51 प्रतिशत बिहार के थे। 1890 के पूरे दशक में बिहार से जाने वालों की संख्या काफी रही परन्तु धीरे-धीरे उनका अनुपात कम हो गया। एक कारण यह भी था कि बिहार में और पड़ौसी बंगाल में कोयले की खानों में तथा कारखानों में काम मिलने लगा और इसके बाद उन ज़िलों से लोग अधिक गये जो औद्योगिक केन्द्रों से दूर थे जहां जनसंख्या का घनत्व था, सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, और भूमि खेती के लिए स्थायी रूप से उपलब्ध नहीं थी। सन् 1884 में उत्तर

प्रदेश ने, जिस में उस समय पश्चिम उत्तर प्रदेश और अवध को गिना जाता था, कुल गिरमिटियों में से 39.8 प्रतिशत प्रदान किये। लेकिन सन् 1902 में इस प्रतिशत में फर्क हो गया। बंगाल और बिहार में 7.68 प्रतिशत व्यक्ति रजिस्टर किए गए। पश्चिमोत्तर प्रदेश में 40.83 प्रतिशत, अवध में 22.02 प्रतिशत, पंजाब में 0.69 प्रतिशत और मध्य भारत में 28.55 प्रतिशत। 1903 में बिहार में तथा बंगाल में यह संख्या 9.94 प्रतिशत थी, पश्चिमोत्तर प्रदेश में 32.08 प्रतिशत, अवध में 17.06 प्रतिशत, पंजाब में 15.30 प्रतिशत, मध्य भारत में 22.72 प्रतिशत और अजमेर में 2.07 प्रतिशत थी। 1904 में बंगाल-बिहार में 7.16 प्रतिशत, पश्चिमोत्तर प्रदेश में 36.53 प्रतिशत, अवध में 32.95 प्रतिशत, पंजाब में 8.95 प्रतिशत, मध्य भारत में 11.67 प्रतिशत और अजमेर में 2.72 प्रतिशत थी। 1905 में बंगाल-बिहार में 21.45 प्रतिशत, मध्य भारत में 2.94 प्रतिशत और अजमेर में 1.01 प्रतिशत। 1906 में बंगाल-बिहार में 33.26 प्रतिशत, पश्चिमोत्तर प्रदेश में 42.10 प्रतिशत, अवध में 18.91 प्रतिशत, पंजाब में 1.87 प्रतिशत, मध्य भारत में 3.50 प्रतिशत और अजमेर में 2.22 प्रतिशत थे। 1907 में बंगाल-बिहार में 22.26 प्रतिशत, पश्चिमोत्तर प्रदेश में 42.16 प्रतिशत, अवध में 31.18 प्रतिशत, पंजाब में 1.98 प्रतिशत और मध्य भारत में 1.60 प्रतिशत। 1908 में बंगाल-बिहार में 10.4 प्रतिशत, पश्चिमोत्तर प्रदेश में 85.15 प्रतिशत, अवध में 42.19 प्रतिशत, मध्य भारत में 0.19 प्रतिशत और अजमेर में 0.40 प्रतिशत नाम रजिस्टर हुए। 1909 में बंगाल-बिहार में 10.37 प्रतिशत, पश्चिमोत्तर प्रदेश में 46.77 प्रतिशत, अवध में 41.95 प्रतिशत, मध्य भारत में 0.88 प्रतिशत रजिस्ट्री हुई। 1910 में बंगाल-बिहार में 12.73 प्रतिशत, पश्चिमोत्तर प्रदेश में 48.33 प्रतिशत, अवध में 34.53 प्रतिशत, पंजाब में 3.70 प्रतिशत और अवध में 0.69 प्रतिशत की रजिस्ट्रियां हुई। 1911 में बंगाल और बिहार में 22.21 प्रतिशत, पश्चिमोत्तर प्रदेश में 34.63 प्रतिशत, अवध में 29.35 प्रतिशत, पंजाब में 14.58 प्रतिशत और अजमेर में 3.75 प्रतिशत की रजिस्ट्री हुई। सन् 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल प्रान्त का विभाजन कर दिया गया, पूर्वी बंगाल मिला दिया गया, बिहार तथा उड़ीसा अलग प्रदेश हो गये। 1912 में बंगाल में 1.96 प्रतिशत, बिहार में 5.80 प्रतिशत, पश्चिमोत्तर प्रदेश में 43.52 प्रतिशत, अवध में 30.35 प्रतिशत, पंजाब में 14.58 प्रतिशत और अजमेर में 3.75 के नाम लिए गए थे। सन् 1913 में बंगाल में 6.51 प्रतिशत, बिहार में 8.77 प्रतिशत, पश्चिमोत्तर प्रदेश में 41.14 प्रतिशत, अवध में 24.35 प्रतिशत, पंजाब में 15.25 प्रतिशत, मध्य भारत में 0.53 प्रतिशत, अजमेर में 2.32 प्रतिशत और उड़ीसा में 1.49 की रजिस्ट्री हुई। 1914 में बंगाल में 1.28 प्रतिशत, बिहार में 3.39 प्रतिशत, पश्चिमोत्तर प्रदेश में 56.63 प्रतिशत, अवध में 33.13 प्रतिशत, पंजाब में 5.55 प्रतिशत की रजिस्ट्री हुई और अन्य राज्यों में कोई रजिस्ट्री नहीं हुई। 1915 में बंगाल में 5.14 प्रतिशत, बिहार में 4.65 प्रतिशत, पश्चिमोत्तर प्रदेश में 60.75 प्रतिशत, अवध में 28.81 प्रतिशत, मध्य भारत में 0.37 प्रतिशत, अजमेर में 0.31 प्रतिशत और उड़ीसा में 0.03 प्रतिशत के नाम लिखाए गए। सन् 1916 में बंगाल में 6.50 प्रतिशत, बिहार में 2.04 प्रतिशत, पश्चिमोत्तर प्रदेश में 63.55 प्रतिशत, अवध में 25.23 प्रतिशत, अजमेर में 1.56 प्रतिशत और उड़ीसा में 1.09 प्रतिशत व्यक्तियों ने नाम लिखाए।

जो लोग फीजी गये या जिन्होंने फीजी जाने के लिए अपने को प्रस्तुत किया उनके आँकड़ों को देखने से यह स्पष्ट है कि सबसे अधिक व्यक्ति संयुक्त प्रान्त से गए, यानी वर्तमान

उत्तर प्रदेश से। बंगाल और बिहार से जाने वालों की संख्या में अन्तर रहा और केवल तीन वर्ष, यानी 1911, 1912 और 1913 में पंजाब से अपेक्षाकृत अधिक लोगों ने नाम लिखाए।

सन् 1901 में कोलोनियल शुगर रिफाइनिंग कम्पनी के मिस्टर थामस यूजिस भारत आये थे और उन्होंने मजदूरों की भरती के लिए भारत का दौरा किया और यह सिफारिश की कि भविष्य में संयुक्त प्रान्त से कम-से-कम मज़दूर लिए जायें। उनकी सिफारिश के फलस्वरूप मद्रास, मध्य प्रदेश, अजमेर और पंजाब में भी भरती प्रारम्भ की गयी और फिर भी सबसे अधिक मज़दूर संयुक्त प्रान्त से ही आये। बंगाल और बिहार के आदिवासी कबीलों के मज़दूरों को ज़्यादा पसन्द किया जाता था क्योंकि वे हृष्ट-पुष्ट थे, उनमें छूआछूत की भावना नहीं थी और वे अधिक तार्किक भी नही थे। परन्तु उनको आसाम के चाय-बागानों में जो अंग्रेज़ कम्पनियों के लिए स्थापित थे भरती किया जाता था और उनमें से जो आसाम बागानों के एजेंटों द्वारा अस्वीकृत कर दिये जाते, वही फीजी भेजे जाते थे। जैसे-जैसे आसाम के चाय-बागानों का विकास होता गया, बंगाल और बिहार के आदिवासी क्षेत्रों से उपनिवेशों में जाने वाले डंगर मज़दूरों की संख्या कम हो गयी। हालांकि इनकी न्यूनतम आवश्यकताओं को देखकर ही इन्हें किसी भी मूल्य पर भरती करने का आग्रह था, क्योंकि इन्हें खाना व कपड़े के अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। इन समस्त क्षेत्रों में फीजी तथा अन्य उपनिवेशों में मज़दूर उपलब्ध कराने का सबसे बड़ा साधन था--प्रकृति का प्रकोप। जिन वर्षों में अकाल पड़ता या फसल मारी जाती तो मज़दूर उपलब्ध हो जाते थे। सन् 1881-2 और 1882-3 में बंगाल, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में बड़ी अच्छी फसल हुई। परिणामस्वरूप एक भी मज़दूर फीजी नहीं गया। 1884-5 में बंगाल और बिहार में अकाल पड़ा और फीजी के एजेंट को जितने मज़दूरों की ज़रूरत थी, सारे-के-सारे भरती हो गये। उस समय आधे मज़दूर बंगाल और बिहार से गये, जैसा कि कभी नहीं हुआ। 1889 में बिहार में फिर अकाल पड़ा और फिर वहां से लोग भरती होने लगे। 1891 में वहां फसल अच्छी आयी और मज़दूरों की भरती कम हो गयी। 1902, 1903 और 1904 अच्छी फसलों के वर्ष थे, इसलिए हम देखते हैं कि तब 1901 में कलकत्ते से 2409 मज़दूर गये थे, 1902 में 1558, 1903 में 1234 और 1904 में 1158 मज़दूर ही थे। परिणामस्वरूप मद्रास से मज़दूरों की मांग हुई। 1903 में मद्रास से 596 मज़दूर गये थे परन्तु उत्तर भारतीयों की अपेक्षा उनका काम और श्रम करने की क्षमता मिस्टर यूजिस की आशा के विपरीत निकली और उन्होंने अगले वर्ष किसी मद्रासी को नहीं बुलाया, परन्तु जब उत्तर भारत से जाने वालों की संख्या कम हो गयी तो अगले वर्ष मद्रास डिपो को फिर कहा गया कि वह भरती करे।

फीजी में आने वाले जो लोग भरती किये गये, उनके प्रान्तों की सूची तो हम दे चुके हैं, पर उन प्रान्तों में भी कुछ जिले ऐसे थे, जहां से विशेष तौर पर लोग आये। बिहार में 1900 तक सबसे अधिक व्यक्ति शहाबाद जिले से गये और अन्य जिले जिनसे मज़दूर गये, वे थे—सारन, दरभंगा, पटना, गया और मानभूम। बंगाल में चौबीस परगना जिले से अधिकांश मज़दूर भरती किये गये, पर ये वहां के निवासी नहीं थे। ये भी अन्य जिलों के मज़दूर थे, जो नौकरी की तलाश में वहां आ गये थे, या भटक गये थे। यह जिला कलकत्ते के करीब था और यहां पर दूर-दूर से कारखानों, चाय-बागानों आदि में नौकरी पाने के लिए मज़दूर आते रहते थे। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मज़दूर इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, फैज़ाबाद, लखनऊ, बस्ती, गोंडा और गोरखपुर से उपलब्ध हुए। उसके बाद आगरा, मथुरा, अलीगढ़, गाजीपुर, जौनपुर आदि नगरों का नाम आता है। पंजाब प्रांत में उन दिनों दिल्ली और वर्तमान हरियाणा शामिल थे। इसलिए

जब यह कहा जाता है कि पंजाब से भरती हुई, तो उसमें दिल्ली शहर और अम्बाला और रोहतक ज़िले के लोग थे। मध्य प्रदेश में भरती बिलासपुर और रायपुर में होती थी। अजमेर में जो लोग भरती होते थे, वे मूलतया पड़ौसी देशी रियासतों के थे। उत्तर प्रदेश के जिन नगरों में सबसे अधिक भरती हुई, उनकी दो विशेषताएं हैं। एक तो वे नगर हैं, जो प्रमुख नगर थे, जैसे कानपुर और लखनऊ अथवा वे जो तीर्थ थे, जैसे काशी, प्रयाग, मथुरा, अयोध्या या फैज़ाबाद जैसे नगर इस श्रेणी में आते थे। यहां पर तीर्थ-यात्री आये। उनमें से कोई भटक गया तो जो आरकाटी खासतौर पर उस शहर में रंगरूट भरती करने के लिए होते, वे उनको भुलावा देकर गन्तव्य स्थान पर ले जाने की बात करते और उन्हें घुमा-फिराकर डिपो में बन्द करा देते। उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता। यह कहा जाता था कि जहाज़ पर बैठाकर तुम्हें जगन्नाथ जी के दर्शन करा देंगे और बहुत अच्छी नौकरी दिलवायेंगे। उन दिनों कलकत्ते से जगन्नाथ जी जहाज़ जाया करता था। इसलिए यह बात अस्वाभाविक भी नहीं लगती थी। वहां से बचकर आना बिरले ही का काम था। भारतीय आव्रजन कानून के अनुसार उन्हें मजिस्ट्रेटों के सम्मुख पेश होना पड़ता था। लेकिन दलाल उनको पहले बता देते थे कि तुम यह जवाब देना, तुमने और कुछ कहा तो तुम्हें यह अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। रुपया-बारह आने रोज़ की नौकरी उन दिनों अच्छी समझी जाती थी, भारत जैसे गरीब देश में। लेकिन यदि कोई मजिस्ट्रेट यह कह बैठता कि तुम्हें कालापानी पार करके जहाज़ में जाना होगा और फीजी इतनी दूर है, तो वह इनकार कर देते। जब ऐसा होने लगा तो भारत सरकार की तरफ से आदेश आये कि प्रवास में रुकावट न डाली जाये। उसका सीधा-साधा अर्थ यह था कि जो अफ़सर अधिक लोगों को अस्वीकार करेगा वह रुकावट डालने वाला समझा जायेगा। यह तय बात है कि जो लोग भी फुसलाये जाते थे, उनको लालच यह दिया जाता था कि तुमको अच्छी नौकरी दिलवायी जायेगी। स्पष्ट है कि वे ऐसे लोग थे जिन्हें रोज़गार की ज़रूरत थी। जैसा हम लिख चुके हैं, जिस-जिस समय भारत में अकाल पड़ता, सूखा होता या बाढ़ आती, उस-उस समय इन मज़दूरों की संख्या बढ़ जाती। परन्तु फिर भी कुछ ऐसे स्थान थे, जहां प्रारम्भ से ही निरन्तर मज़दूर उपलब्ध होते रहे। ये थे—बस्ती, गोंडा, फैज़ाबाद, गोरखपुर, आज़मगढ़, जौनपुर, गाज़ीपुर, और बिहार का शाहबाद। ये वे ज़िले हैं, जहां की जनसंख्या भारत में सबसे अधिक घनी जनसंख्या मानी जाती है और जहां की खेती बढ़ती हुई जनसंख्या का साथ नहीं दे सकती। ये वे ज़िले भी हैं, जहां कमज़ोर वर्ग के लोगों की संख्या अधिक थी। भारत में भी विभिन्न मिलों में और आसाम के चाय-बाग़ानों में यहां के मज़दूर काम करते मिलेंगे। अहमदाबाद, बम्बई, इन्दौर, नागपुर, हावड़ा, कानपुर के कारखाने और हज़ारीबाग, झरिया और रानीगंज की कोयला खदानें इन क्षेत्रों से आये हुए मज़दूरों के बल पर चलती हैं। जब भारत में रेलवे का जाल नहीं बिछा था, कारखानों और खनिज उत्पादन के धन्धे में वृद्धि नहीं हुई थी और रोज़गार का साधन केवल कृषि और घरेलू उद्योग थे, उस समय जब बेकारी सताती, तो यहां के लोग परदेश के लिए निकल पड़ते। यह प्रक्रिया आज भी जारी है, फर्क इतना है कि आज इन्हें भारत से बहुत दूर जाकर प्रवास नहीं करना पड़ता। गियाना, जमैका, सूरीनाम, नेटाल, मारिशस और फीजी में जो लोग अधिक संख्या में गये, उनमें काफी इन ज़िलों के थे। पश्चिमी ज़िलों से जो लोग गये, वे उन ज़िलों से गये, जो कृषि की दृष्टि से उत्तम नहीं थे, जैसे कि मथुरा और आगरा। परन्तु यहां भी होता यह था कि मथुरा तीर्थ था, आगरा बड़ा नगर था, और यहां पर जो लोग आते थे, उन्हीं को फुसलाकर फीजी ले जाया जाता था। स्त्रियों के सम्बंध में तो अक्सर यह हुआ है कि जो

देहाती स्त्रियाँ तीर्थों या बड़े नगरों में अपने परिवार वालों से बिछुड़ गईं और जब उन्हें डिपो में बन्द करदूसरों के हाथ का खाना खिलाकर कह दिया गया कि अब उनकी जाति समाप्त हो गयी और उनके घर वाले मिल भी जायें तो वे उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे, तो उन्हें किसी अकेले की पत्नी घोषित कर फीजी भेज दिया गया।

भारत की आर्थिक स्थिति के सम्बंध में वेस्ट इंडिया कमेटी ने 1909 में लिखा था कि "कुलियों की उपलब्धि प्रायः इस बात पर निर्भर करती कि जिन ज़िलों में भरती होती उनमें फसल अच्छी उगती है या मारी जाती है।" इस रिपोर्ट में दो बातें स्पष्ट हैं— पहली यह कि फसल अच्छी होने पर मज़दूरों की भरती नहीं होती थी। सन् 1882-3 में यह सिद्ध हो गया। सन् 1881-2 में तो केवल 586 आदमियों ने अपना नाम लिखाया था, जबकि 1884-5 के अकाल वर्ष में यह संख्या बढ़कर 3,366 हो गयी। रिपोर्ट में जो दूसरा संकेत है, वह भी स्पष्ट है और वह यह है कि कुछ ऐसे ज़िले थे, जहां पर हमेशा ही बाहर जाने के लिए किसान उपलब्ध रहते थे।

उत्तर भारत से फीजी में काफी लोग गये। फीजी में 45,439 प्रवासियों के विभिन्न प्रांतों से जाने वालों की संख्या इस प्रकार थी :

क्षेत्र का नाम	संख्या	अनुपात प्रतिशत
पश्चिमोत्तर प्रांत	21,131	46.5 "
अवध	13,207	29 "
बिहार	4,771	10.5 "
मध्य प्रदेश	2,802	6.2 "
पंजाब	828	1.8 "
राजस्थान	733	1.6 "
बाहरी उपनिवेश	640	1.4 "
नेपाल	398	0.9 "
बंगाल	150	0.3 "
पश्चिमी भारत	120	0.3 "
मद्रास	76	0.2 "
अन्य क्षेत्र	81	0.2 "
अनिश्चित	502	1.1 "
कुल	45,439	100.0 "

ज़िलेवार गणना की जाये तो प्रमुख ज़िले इस प्रकार थे :

बस्ती	6415	14.12 "
गोंडा	3589	7.90 "
फैज़ाबाद	2029	5.13 "
सुल्तानपुर	1747	3.85 "
आज़मगढ़	1716	3.78 "
गोरखपुर	1683	3.70 "
इलाहाबाद	1218	2.68 "

		प्रतिशत
जौनपुर	1,188	2.61 ,,
शाहबाद	1,128	2.48 ,,
गाज़ीपुर	1,127	2.48 ,,
रायबरेली	1,087	2.39 ,,
प्रतापगढ़	894	1.97 ,,
बाराबंकी	769	1.69 ,,
गया	765	1.68 ,,
बहराइज	750	1.65 ,,
रायपुर	744	1.64 ,,
बनारस	672	1.48 ,,
पटना	644	1.42 ,,
लखनऊ	613	1.34 ,,
कानपुर	583	1.28 ,,
उन्नाव	556	1.22 ,,
आगरा	549	1.20 ,,
मिर्ज़ापुर	527	1.60 ,,
जयपुर	473	1.04 ,,

ये आँकड़े श्री ब्रजलाल के निबन्ध "फीजी गिरमिटियाज़ : द बैकग्राउंड टु बेनिशमेंट" (रामाज़ बेनिशमेंट, हाइनेमन एजूकेशनल बुक्स) से लिया गया है। श्री ब्रजलाल ने अपना अध्ययन उत्तर भारत तक सीमित रखा, और इन आँकड़ों में दक्षिण से आने वालों का ज़िलेवार विवरण नहीं है।

जितने भी भारतीय मज़दूर फीजी गये उनमें सबसे अधिक संयुक्त प्रान्त के थे। सन् 1910 के बाद मद्रास से भी काफी मज़दूर गये। उत्तर प्रदेश के जिन ज़िलों से मज़दूर गये वे ज़िले ऐसे थे जहां जनसंख्या अधिक थी, भूमि कम थी, जैसे बस्ती, गोरखपुर, आज़मगढ़, गोंडा आदि, या ऐसे ज़िले थे जिनमें जनसंख्या का अनुपात तो इतना बड़ा नहीं था परन्तु भूमि अधिक उपजाऊ नहीं थी। आगरा और मथुरा ऐसे ज़िले थे जहां पर सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी और जहां पर यदि बरसात ठीक नहीं होती तो अकाल पड़ जाता था। यही हाल अम्बाला और रोहतक ज़िलों का था। मध्य प्रदेश के बिलासपुर और रायपुर ज़िले कृषि की दृष्टि से सम्पन्न थे पर वहां भी कृषि केवल वर्षा के ऊपर आधारित थी। धान की खेती अधिक होती है, जिसे खूब पानी चाहिए। इस क्षेत्र में नहरों की सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी और जब सूखा होता तो कुएं भी सूख जाते थे। मद्रास में अधिकांश मज़दूर मद्रास और अरकाट के ज़िलों से जाते थे। मद्रास भरती का केन्द्र था और रोज़गार की तलाश में वहां लोग आते थे। नार्थ अरकाट या चिंगलपुट्ट से भी जो पड़ोसी ज़िले थे, मज़दूर मिलते थे। इनके अतिरिक्त जिन ज़िलों से 5 प्रतिशत से अधिक मज़दूर गये उनमें दो तमिलनाडु के थे (कोयम्बतूर और तंजौर से) और शेष आन्ध्र क्षेत्र के थे (गोदावरी, कृष्णा, नैल्लोर तथा विज़ागापट्टनम ज़िलों से)। प्रायः पूर्वी तट के लोग ही फीजी जाने के लिए तैयार होते थे क्योंकि यहां के लोग श्रीलंका, बर्मा और मलाया मज़दूरी करने जाते थे।

मद्रास में भूमि से आमदनी कम थी। जोतें छोटी थीं, मूल्य बढ़ रहे थे और सम्भवतः घर छोड़ने का प्रलोभन इस कारण अधिक था। श्रीलंका मद्रास के करीब था और समुद्री जहाजों द्वारा वहां आना-जाना अत्यन्त प्राचीनकाल से चला आ रहा था। इसका लाभ उठाकर आरकाटिये इन बेपढ़े मजदूरों को यह कहकर फुसलाते कि तुम्हें श्रीलंका भेजना है जहां तुम्हारी भाषा बोलने वाले बहुत हैं और जहां से तुम जब चाहो लौट सकते हो। यह कहकर उन्हें मद्रास लाया जाता और फिर फीजी के जहाजों में बैठा दिया जाता था। परन्तु यहां से स्त्रियां कम जाती थीं। उत्तर भारत में पर्दा प्रथा थी और स्त्रियों को प्रायः तीर्थों से, जहां वे स्नान या तीर्थ-यात्रा करने जाती थीं और संगी-साथियों से बिछुड़ जाती थीं, बहकाकर डिपो में पहुंचा दिया जाता था। वहां व्यवस्था इतनी कड़ी थी कि स्त्रियां डरती थीं कि जब वे घर से बाहर अजनबी लोगों के बीच में कुछ दिन रही हैं तो घर वापस लौटने पर भी उनको वह सम्मान और स्थान नहीं मिलेगा जो उनका था और परित्यक्त की जा सकती थीं। यही कारण था कि एक बार फंस जाने पर उत्तर भारत की स्त्रियां कुली बनकर ही फीजी पहुंचतीं।

आँकड़ों से यह भी सिद्ध होता है कि जिन क्षेत्रों से मजदूर भेजे गये उनमें तीन विशेषताएं थीं। प्रथम वे ज़िले ऐसे थे जहां जनसंख्या का बोझ अधिक था। आज भी देवरिया में जो गोरखपुर ज़िले को काटकर बनाया गया है प्रति वर्गमील 1137 लोग रहते हैं और जौनपुर में 1120। पड़ोसी गाजीपुर आदि की भी यही स्थिति थी। दूसरे, पूर्वी उत्तर प्रदेश से इन ज़िलों में अनुसूचित जातियों के लोगों की संख्या अधिक थी और उनके पास खेती नहीं थी या बहुत कम थी। तीसरे, अवध में ताल्लुकेदारी प्रथा बहुत ज़ोरों पर थी, जहां का ताल्लुकदार ज़मीन का आला मालिक होता था और काश्तकार मारुसी नहीं होता था बल्कि उसको कुछ काल के पट्टे दिये जाते थे और जब चाहे तब उससे ज़मीन छीन ली जाती थी। लगान भी अधिक होता था और जब फसल खराब होती थी तो ज़मींदार तो अपनी वसूली कर लेता पर किसान भूखों मरता था। यह गरीबी अभी तक चली आई है और जिस समय ज़मींदारी थी, हालात और भी खराब थे। आज भी पूर्वी उत्तरप्रदेश के 15 ज़िलों में प्रति व्यक्ति आय 229 रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है और देवरिया ज़िले में तो 150 रुपये पाई गई है। देश में सबसे निम्न कोटि के जो 78 ज़िले हैं उनमें 12 इस प्रान्त में पाये जाते हैं। उत्तर प्रदेश में औसत जोत 2.1 हेक्टर की है जबकि यही पंजाब में 4.75 हेक्टर और मध्य प्रदेश में 10 हेक्टर है। सारे भारत में भी 3 हेक्टर प्रति जोत का औसत पड़ता है परन्तु उत्तर प्रदेश के जिन ज़िलों से लोग गये वहां जोत का औसत उत्तर प्रदेश के कुल औसत से भी कम था, क्योंकि बुंदेलखण्ड में जोतों का औसत कुछ अधिक है क्योंकि वहां की भूमि पहाड़ी है और उधर कम लोग रहते हैं।

परन्तु इन ज़िलों से मजदूरों के जाने का एक दूसरा बड़ा कारण भी था। सन् 1901 में सूत की बुनाई के काम में ही यू० पी० में 12 लाख कारीगर लगे हुए थे। आज़मगढ़, फैज़ाबाद, अलीगढ़, एटा, मुज़फ्फरनगर और सहारनपुर हथकरघा उद्योग के बड़े केन्द्र थे। लखनऊ, वाराणसी, फैज़ाबाद, जौनपुर, मिर्ज़ापुर और रायबरेली में बढ़िया मलमल तैयार होती थी। वाराणसी, आगरा और आज़मगढ़ रेशम के भी केन्द्र थे। बनारस, आगरा और लखनऊ में ज़री का काम होता था और लखनऊ में चिकन का। बहराइच और मुज़फ्फरनगर में कम्बल बनते थे। इन उद्योगों से 1 लाख 20 हज़ार मज़दूरों को काम मिलता था। आगरा, अलीगढ़ और बरेली ज़िलों में दरियां बनती थीं और मथुरा, लखनऊ, जहांगीराबाद, ज़फरगंज में कपड़े पर छपाई होती थी। फर्रुखाबाद, चुनार, अलीगढ़, आज़मगढ़, बुलन्दशहर, मेरठ, रामपुर, मुरादाबाद,

सीतापुर और लखनऊ में चीनी मिट्टी के बर्तन बनते थे। अलीगढ़, मैनपुरी और इटावा ज़िलों में काँच तैयार होता था और रुहेलखण्ड, वाराणसी तथा गोरखपुर खांडसारी उद्योग के बड़े केन्द्र थे। अन्य स्थानों पर जहां गन्ना पैदा होता था, भारी मात्रा में गुड़ तैयार होता था।

सन् 1859 में कानपुर में पहली कपड़ा मिल चालू हुई और 1905 में आगरा, हाथरस और मिर्ज़ापुर में तीन और कपड़ा मिलें चालू हुईं। 1886 में भारत की सबसे बड़ी ऊनी मिल, लाल इमली मिल की कानपुर में स्थापना हुई। इसी समय कानपुर में चमड़ा पकाने के लिए चार टैनरियां बनीं। लखनऊ में एक काग़ज की मिल बनी, शाहजहांपुर और कानपुर में दो चीनी मिलें बनीं। कानपुर में लोहे का कारखाना बना और एक कपास मिल भी बनी।

ब्रिटेन से आयातित मिल-निर्मित सामान भारत में लोकप्रिय हो रहा था और उससे भारतीय गृह उद्योग को धक्का पहुंच रहा था। परन्तु जब उत्तर भारत में यह उद्योग स्थापित हो गये तो उन्होंने गृह-उद्योगों को चौपट कर दिया। जो काम 100 मज़दूर करते थे, वह कारखाने का एक स्पिंडल करने लगा। इसलिए देहातों में और छोटे-छोटे कस्बों में जो कारीगर लोग थे, जो खेती पर निर्भर नहीं थे या वे किसान जो फ़ुरसत के अवसर पर कुछ गृह-उद्योग कर लेते थे, बेकार हो गये। बड़े-बड़े शहरों में कल-कारखाने बनने से देहातों में शहर की ओर जाने की प्रवृत्ति बढ़ी और वहां मज़दूरी के लिए गांवों से आये हुए नौजवान मिलों के इर्द-गिर्द चक्कर लगाने लगे। यदि आरकाटियों को कानपुर, लखनऊ, वाराणसी या आगरा में मज़दूर मिलते थे तो उसका यही कारण था, और यही वह कारण था जिसने मद्रास को मज़दूरों का आकर्षण-केन्द्र बना दिया था क्योंकि वहां पर बकिंग्घम और कर्नाटक मिलें कायम हो चुकी थीं। कलकत्ते में भी लोग पटसन मिलों और कपड़ा मिलों में काम की तलाश में जाते थे और वहां पर वे फीजी तथा अन्य उपनिवेशों के आरकाटियों के चक्कर में आ जाते थे। जब-जब देश में अकाल पड़ता था, तब-तब इन बड़े शहरों में रोज़गार ढूंढ़ने वालों की संख्या बढ़ जाती थी और फीजी जाने वाले जहाज़ लदे हुए चले जाते थे। यह मज़े की बात है कि यद्यपि कलकत्ता मज़दूरों की भरती का सबसे बड़ा केन्द्र था, परन्तु बंगाल प्रान्त के लोग सबसे कम भरती हुए और यदि भरती हुए भी तो यह समझकर कि उन्हें अध्यापक, क्लर्क या इस प्रकार का कोई काम दिया जाएगा। मुख्य कारण यह था कि बंगाल की धरती उपजाऊ थी, वहां पर अच्छी वर्षा होती थी और चावल तथा पटसन जैसी लाभप्रद फसलें होती थीं। साथ ही अगर उनमें कोई काम करना चाहे तो पड़ोसी आसाम के चाय-बाग़ान जिनके मुख्यालय कलकत्ता में थे, और जो बंगाल प्रान्त में ही थे, खुले हुए थे।

जहां तक स्त्रियों का सम्बंध है उनकी भरती के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि आर्थिक कारण ज़िम्मेदार थे, सिवाय दुष्काल के समय में जब पति तथा पत्नी दोनों एक साथ बाहर किसी काम-काज के लिए निकलते थे। साधारणतया 75 प्रतिशत स्त्रियां ऐसी थीं जो अकेली होती थीं। भारत सरकार ने नियम बना रखा था कि प्रत्येक 100 आदमियों के साथ कम-से-कम 40 स्त्रियां जानी चाहिएं। आदेश यह भी थे कि या तो स्त्रियां अपने पति के साथ हों या उनके पतियों की अनुमति हो। फीजी की सरकार स्त्रियों की इतनी बड़ी संख्या नहीं चाहती थी और सन् 1885 में उसने अनुरोध भी किया कि यह अनुपात घटा दिया जाये। स्त्रियों से मतलब उनसे होता था जिनकी उम्र 10 वर्ष या उससे अधिक हो। कलकत्ता में जितने लोग भेजे गये उनमें पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या 43.72 प्रतिशत थी। इनमें से अधिकांश स्त्रियां फुसला कर और धमकाकर भगाई जाती थीं। श्री सी० एफ० एण्ड्रयूज़ और पियर्सन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, "स्त्रियों में यह द्रष्टव्य था कि उनमें से बहुत सी तीर्थ-स्थानों में से भरती की गई थीं।

साधारण चलन यह था कि आरकाटी उन स्त्रियों को अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाने का प्रस्ताव करता या उन्हें किसी पवित्र मन्दिर को दिखाने की बात करता और फिर उन्हें डिपो ले जाता। इस प्रकार की परिपाटी के सम्बंध में जो साक्ष्य यहां दिया गया वह इतना व्यापक था और प्रत्येक में इतना ब्यौरा था और स्थानों के इतने नये नाम थे जिससे इनकी वास्तविक सत्यता के बारे में कोई सन्देह नहीं रह जाता था। सन् 1887 में कलकत्ते के प्रोटेक्टर आफ इमीग्रेंट्स ने लिखा था : "एजेंसियों के लिए हमेशा कठिनाई का विषय रहा है कि किस प्रकार बाइज्ज़त स्त्रियों को भरती करें। भरती करने वालों पर जो दबाव पड़ा है उसका प्रायः परिणाम यह हुआ है कि विवाहित तथा अकेली महिलाओं और सम्माननीय परिवारों की लड़कियों को उड़ाया गया है और उन्हें जहाज़ में सारे देश से लाई हुई वेश्याओं के साथ भरकर भेज दिया गया था। उन्होंने यह सुझाव भी दिया था कि महिलाओं की संख्या की 33 प्रतिशत की सीमा कम कर दी जाय। उस समय भारत में बहुत जल्दी विवाह हो जाता था और ज्यादातर जो पुरुष घर छोड़कर निकलते थे वे विवाहित होते थे। चूंकि वे देश छोड़ने के इरादे से अपने घर से नहीं निकलते थे और भारत में यह प्रथा थी कि मर्द संयुक्त परिवार तथा खेती पर आश्रय के कारण स्त्रियों को अपने घर छोड़ देते थे और जहां कहीं भी नौकरी करते थे वहां से घर धन भेज देते थे और प्रतिवर्ष धार्मिक उत्सवों के अवसर पर छुट्टी लेकर घर आ जाते थे, इसलिए जब वे लोग घरों से बाहर निकलते तो अपनी स्त्रियों को लेकर नहीं निकलते थे। मिस एफ० ई० गारनेहम ने सन् 1918 में फीजी में भारतीयों की आर्थिक स्थिति पर जो पुस्तक लिखी थी उसमें बताया था कि फीजी में जो भारतीय थे उनमें से अधिकांश अपनी पत्नियों को भारत छोड़ आये थे। भारत में स्त्रियां वर्षों तक अपने पतियों के वापस आने की प्रतीक्षा करती रहती थीं और बहुत थोड़ी ही थीं जो विवाह करती थीं।

भारत से जो स्त्रियां फीजी गयीं उनका चरित्र कैसा था इस बात को लेकर आधुनिक फीजीवासियों में बड़ा विवाद है। वे इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं हैं, जैसा कि कुछ अंग्रेज़ लेखकों ने लिखा, कि फीजी लाइन सचमुच में कसाबखाने या वेश्याघर थे। सन्दर्भ यह था कि वेश्याएं ही फीजी लाई गयीं, बात ऐसी नहीं थी। यह सही है कि अधिकांश स्त्रियां जो फीजी आईं अपने पति के साथ नहीं आईं और जब पति उनके साथ नहीं होता था और वे फुसला ली जाती थीं तो आरकाटी एजेंट उनको समझाता था कि अब तुम्हारा भविष्य इसी में सुरक्षित है कि तुम अपने को वेश्या घोषित करो, ऐसी स्थिति में पति की अनुमति का सवाल ही नहीं उठता। श्री मदनमोहन मालवीय ने सन् 1914 में केन्द्रीय धारासभा में शर्तबन्द मज़दूर प्रथा को बन्द करने का प्रस्ताव करते हुए उल्लेख किया था कि लखनऊ की दो सम्भ्रान्त महिलाएं कानपुर गयीं, इक्केवाले ने जो आरकाटियों से मिला हुआ था, उन्हें एक भरती-डिपो पहुंचा दिया जहां उन्हें डरा-धमका कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। जब उनमें से एक महिला ने कहा कि वह वेश्या है तो मजिस्ट्रेट को विश्वास नहीं हुआ। उसने जांच करायी और फिर उस महिला को उसके परिवार में वापस लखनऊ भेज दिया गया। यह समाचार बम्बई के "श्री वेंकटेश्वर समाचार' में छपा था। पर अधिकतर होता यह था कि किसी महिला को किसी भी पुरुष की पत्नी घोषित कर दिया जाता और वे साथ-साथ जहाज़ पर चढ़ते, भले ही जहाज़ पर चढ़ने के बाद या फीजी पहुंचने के बाद वे दोनों बिल्कुल अलग हो जाते। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि फीजी में आयी हुई स्त्रियों का जो अध्ययन किया है उसमें से अधिकांश के बारे में यह पता लगा कि उनमें से बहुत थोड़ों ने अपने निकट के रिश्तेदार के रूप में पति या पत्नी का

ज़िक्र किया।

श्री चन्द्र जयवर्देना ने नौसोरी में बसने वाले भारतीयों का अध्ययन किया है। यहां पर चीनी मिल थी, गन्ने की खेती होती थी और प्रारम्भ से ही यहां पर भारतीय भेजे जाते रहे हैं। सन् 1879 में लिओनिडास पर कोई 463 मजदूर आये थे जिनमें 43 पुरुष और 27 स्त्रियां नौसोरी भेजी गयीं। ये लोग 1882, 1883, 1884 और 1885 तक आते रहे। सन् 1881 से लेकर 1887 तक स्थिति यह थी कि यहां पर 16 से लेकर 20 साल की उम्र के 135 अकेले पुरुष थे जिन्हें मुग़लसिया कहा जाता था और अकेली स्त्रियों की संख्या 32 थी। 21 से 25 वर्ष की उम्र के बीच के 184 अविवाहित पुरुष और 68 अविवाहित स्त्रियां थीं और 26 से लेकर 30 तक की उम्र के 85 पुरुष और 25 स्त्रियां थीं। 4 अकेली स्त्रियां 31 से 35 साल की और 5 स्त्रियां 36 से 40 के बीच की थीं। 16 से 20 साल की उम्र के 1 पुरुष और 15 महिलाओं का विवाह हुआ था। 21 से 25 साल की उम्र के 25 पुरुष और 19 स्त्रियां विवाहित थीं और 25 से 30 साल की उम्र के 16 पुरुष और 13 स्त्रियां विवाहित थीं। 31 से 35 साल की उम्र के 7 पुरुष और 2 स्त्रियां विवाहित थीं और 36 से 40 की उम्र के 3 पुरुष और 2 स्त्रियां विवाहित थे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आने वालों में से अधिकांश पुरुष व स्त्रियों ने अपने को अविवाहित घोषित किया था और जिन्होंने अपने को विवाहित घोषित किया उनकी संख्या बहुत कम थी। यदि कुल आंकड़े लिये जायें तो 745 व्यक्तियों में से 471 पुरुष अविवाहित थे और 167 स्त्रियां अविवाहित थीं। केवल 54 पुरुष और 53 स्त्रियां विवाहित थीं।

यह कहा जा सकता है कि आने के कारण लोगों ने गलत उत्तर दे दिये हों, परन्तु स्त्रियों ने भरती से पहले ही अपने जो निकट के रिश्तेदार बताये उनमें पतियों की संख्या सबसे कम थी। 469 पुरुषों में से 106 ने अपने पिता का, 20 ने माता का और 192 ने अपने भाई का नाम लिखाया। दो ने बहन का, 13 ने बेटे का और 1 ने बाबा का नाम लिखाया। 4 ने पत्नी का, 19 ने चाचा का, 1 ने चाची का, 2 ने चचेरे भाई का, 1 3 ने भतीजे का, 2 ने ससुर का, 3 ने साले का, 1 ने साली का, 1 ने बहनोई का और 1 ने भाभी का नाम लिखाया। 23 ने साथ जाते हुए रिश्तेदार का नाम दिया, 34 ने कहा उनका कोई नहीं है और 38 ने कुछ लिखाया ही नहीं। 3 ने रिश्तेदारों के नाम ही बता दिये। जहां तक 188 महिलाओं का सम्बंध है, 7 महिलाओं ने अपने पिता का नाम, 4 ने मां का नाम, 19 ने भाई का नाम, 5 ने बेटे का नाम, 1 ने पति का नाम, 1 ने देवर का नाम, 1 ने बहनोई का नाम और 27 ने साथ जाते हुए रिश्तेदार का उल्लेख किया। 44 ने लिखवाया कि उनका कोई नहीं है और 75 ने कुछ नहीं लिखवाया। 2 ने रिश्तेदारों के नाम लिखवाये। इस प्रकार नौसोरी नगर में 10 वर्ष के अन्दर जो गिरमिटिया आये उनमें 146 महिलाएं ऐसी थीं जिन्होंने या तो अपने रिश्तेदार का नाम नहीं बताया या साथ में आते हुए किसी व्यक्ति को अपना रिश्तेदार बताया। चूंकि ये स्त्रियां नहीं चाहती थीं कि उनके परिवार का ज़िक्र हो इसलिए केवल 35 ने मां, भाई, बहन, बेटे का नाम दिया। केवल 1 ने अपने पति का। जो साथ जाने वाले रिश्तेदार थे उनमें भी प्रायः साथ जाने वाले बच्चों का उल्लेख था, पति और पत्नियों का बहुत कम।

सन् 1879 से लेकर 1916 तक के जो आंकड़े कलकत्ता बन्दरगाह के उपलब्ध हैं उनसे पता लगता है कि जो पुरुष गये उनमें 17 प्रतिशत ब्राह्मण तथा अन्य ऊंची समझी जाने वाली जातियों के थे। 32.7 प्रतिशत उन जातियों के थे जो किसानी का काम करते हैं। 6.9 प्रतिशत कारीगर वर्ग की जाति के थे और 29.3 प्रतिशत पिछड़ी जातियों के थे या ऐसे लोग थे जो जाति

से निकाले गये थे। 14 प्रतिशत मुसलमान थे और 0.1 प्रतिशत ईसाई थे। चूंकि फीजी में काम खेती का था, इसलिए उन जातियों के लोगों को पसन्द किया जाता था जो खेती का काम करते थे। डॉक्टरों को यह आदेश दिया गया था कि वे प्रवासियों के हाथों की विशेष तौर पर परीक्षा करें कि क्या वे हाथ खेती जैसे कड़े काम के आदी रहे हैं। ब्राह्मण पुजारियों, बनियों, कायस्थों, फकीरों, धोबियों, नटों और पंजाबियों तथा भूतपूर्व पुलिसमैनों और भूतपूर्व सैनिकों को भरती न करने की सिफारिश थी।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुसूचित तथा पिछड़ी जातियों की संख्या काफी है और उनमें से ही अधिकांश लोग फीजी गये। वैसे, कुल मिलाकर 265 जातियों और उपजातियों के लोग भारत से फीजी गये। इनमें जो लोग उत्तर भारत से गये, उनकी गणना श्री बृजलाल ने की है। उनके अनुसार, सबसे अधिक संख्या चमारों की थी, जो 6,087 थे। इसके बाद वे लोग थे, जिन्होंने अपने को मुसलमान लिखाया था और उनकी संख्या 5,455 थी। मुसलमानों की दो अन्य जातियां भी थीं—पठान जो 584 थे और शेख जो 493 थे। पर अपनी विशिष्टता के कारण उन्होंने अपने को शेष मुसलमानों से अलग लिखा था। उनके बाद दूसरी संख्या अहीरों की थी, जो 4,197 थे। ठाकुरों की भी संख्या काफी थी और वे दो जगह लिखाये गये—ठाकुर 3,416 और क्षत्रिय 1,182। श्री बृजलाल ने या तो भूल से या फीजी के राष्ट्रीय अभिलेखागार में जो गिरमिटियों के प्रमाण-पत्र हैं, उनमें किसी गलती के कारण खत्रियों की संख्या 1,182 लिख दी है, परन्तु उत्तर प्रदेश के खत्री मूलतः शहरी व्यापारी हैं, खेती में उनकी कोई रुचि नहीं है और उस समय भी उन्हें रोजगार की खातिर भारत छोड़कर बाहर जाने की ऐसी जरूरत नहीं थी। हां, क्षत्रिय ग्रामीण हैं, सेना और पुलिस आदि में भरती होते रहे हैं और बाहर जाने की उनकी परम्परा रही है। इसी कोटि में उन 652 व्यक्तियों को भी लिखना चाहिए, जो राजपूत लिखे गये हैं। इनके बाद अच्छी-खासी संख्या ऐसे लोगों की थी, जो खेतिहर हैं। कुर्मी 2,307 थे, कोरी 1,942 पासी 999, कोयरी 746, लोध 735 और जाट 708 थे। गडरिये 691 थे, केवट 756, मुराव 563, गौड 541 और दुसाध 464, थे। इनके साथ ही यह उल्लेखनीय है कि जिन लोगों ने अपने को ब्राह्मण लिखाया, ऐसे लोगों की संख्या 1,535 थी। वैसे, फीजी में इस समय महाराजों की जो संख्या है, श्रीधर महाराज, प्रह्लाद महाराज, श्रीमती सुभद्रा महाराज, उससे यह लगता है कि बहुत से ब्राह्मण यहां आये, पर उन्होंने अपने को ब्राह्मण घोषित नहीं किया, क्योंकि उस जाति के लोगों को कई कारणों से पसन्द नहीं किया जाता था। उनकी छुआछूत की भावना, हल चलाने से अरुचि और उनके द्वारा स्थानीय जनता के संगठित होने का खतरा रहता था।

मिस्टर के० एल० गिलियन के अनुसार ऊंची जाति के लोगों की बड़ी संख्या में जाना सम्भवतः इस कारण था कि राजपूत, भूमिहार और मुसलमान उत्तर प्रदेश में अपनी फिजूलखर्ची के कारण अन्य जातियों की अपेक्षा अधिक ऋण-ग्रस्त थे। इसलिए कठिन समयों में उन्हें बाहर जाने की अधिक प्रेरणा होती थी और दूसरे, वे इसलिए भी पसन्द किये जाते थे कि शरीर से वे पुष्ट थे। उत्तर प्रदेश में ऊंची जाति के लोग खेतों के कामों में लगे हुए थे और उन्हें उसका अनुभव था। जिन अन्य जातियों के लोग भरती किये गये वे थीं—अहीर, चमार, कुर्मी, कहार, कुम्हार, केवट, लोद, मुरांव, जाट और मल्लाह। गिलियन के अनुसार छोटी जातियों के लोगों का प्रतिशत यदि अधिक नहीं था तो उसका कारण यह था कि कम पौष्टिक भोजन के अभाव में उनमें अधिक आलस्य था और जब कठिन समय आते थे तो उनकी स्थिति में कोई खास फर्क

नहीं होता था। फीजी में जैसे लोगों की आवश्यकता थी उनकी शारीरिक क्षमता के मानदण्ड ऊंचे थे और वैसे लोगों की ज़रूरत नहीं थी जो अकाल के समय में मृत्यु के द्वार पर खड़े हों। स्त्रियों में नीची जाति की स्त्रियों का अनुपात अधिक था क्योंकि उनके लिए शारीरिक क्षमता के मानदण्ड अधिक कड़े नहीं थे और ऊंचे खानदानों की स्त्रियों की भरती में अधिक कठिनाई होती थी। मद्रास से जो लोग गये उनके कोई जातिगत आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु ऐसा समझा जाता है कि वहां ऊंची जातियों के लोग कम गये, साथ ही वे लोग अपना परिवार भी नहीं ले गये क्योंकि 1905 में जो तालिका बनाई गई थी उससे पता चलता है कि मद्रास से जाने वाले प्रवासियों के आश्रितों की संख्या कम थी। जो लोग जाते थे वे यह नहीं जानते थे कि फीजी कितनी दूर है और फीजी, मारिशस या त्रिनिदाद में कितना अन्तर है। आरकाटिये लोग अनभिज्ञ लोगों को यह कह देते थे कि यह कलकत्ता के पास एक ज़िला है जहां अच्छी मज़दूरी मिलती है। सेंडर्सन कमेटी ने भी यद्यपि आव्रजन का समर्थन किया, उसने यह लिखा था : "यह शंकास्पद दिखाई देता है कि क्या भारत छोड़ने वाले अधिकांश प्रवासी इस बात को पूरी तरह समझते हैं कि उनके लिए नये जीवन की हालत कैसी होगी और न ही वे एक नये देश में अपना घर बनाने की निश्चित इच्छा से जाते हैं। वे इसलिए जाते हैं कि वे अपने को अपने घरों में सुविधा विहीन मानते हैं और अपनी परिस्थितियों में किसी भी परिवर्तन के लिए तैयार हैं।"

उत्तर प्रदेश में कृषि पर बोझ बढ़ने, बराबर बाढ़ या सूखा के प्रकोप होने से कृषि-कार्य कठिन होता जा रहा था। कृषि-जन्य वस्तुओं का मूल्य बहुत सस्ता था और गृह-उद्योग नित्य-प्रतिदिन नष्ट होते जा रहे थे। ऐसी स्थिति में उन क्षेत्रों से जहां जनसंख्या अधिक थी, काम-काज की तलाश में किसानों के बच्चे नगरों की ओर दौड़ते जहां वे आरकाटियों के चंगुल में फंस जाते, जिसका अन्त गिरमिटिया मज़दूर के रूप में होता।

एक प्रान्त ऐसा था जहां से लोग स्वेच्छा से विदेश गये और वह प्रक्रिया आज भी निरन्तर जारी है। पंजाब के जालन्धर, लुधियाना और होशियारपुर ज़िले में जब जनसंख्या बढ़ने लगी और खेती पंजाबियों के जीवन स्तर को कायम रखने के लिए पर्याप्त सिद्ध नहीं हुई तो इन ज़िलों के जाट-सिख किसानों के पुत्रों ने जाना शुरू किया। वे गिरमिटिया मज़दूर के रूप में नहीं गये, उन्होंने अपना भाड़ा स्वयं दिया और उनका उद्देश्य यह था कि वे परदेश में जाकर अधिक धन कमायें। वे केनिया गये, दक्षिण अफ्रीका के अन्य देशों में गये, कनाडा और आस्ट्रेलिया गये। जब वे जाते तो उनका इरादा यह होता कि कृषि या व्यापार के द्वारा धन कमाकर घर लौटें। कभी-कभी उन्होंने अपने रिश्तेदारों को भी बुला लिया। ये लोग प्रायः अपनी ज़मीन को बंधक रख देते और उससे जो रुपया प्राप्त होता उससे जहाज़ का भाड़ा देकर जाते और जब धन लेकर लौटते तो अपने खेत छुड़ा लेते।

इसी प्रकार के जो दूसरे प्रान्त के लोग गये वे गुजराती थे। गुजराती भी प्रवासी रहे हैं। वे अधिकांशतः व्यापार तथा अन्य धन्धों की दृष्टि से गये। बिना परिवार गये और व्यापार कर घर वापस लौटे। ये अधिकांश गुजराती सूरत के निकटवर्ती क्षेत्र से गये। हुआ यह कि प्रारम्भ में जो लोग गये होंगे और जब उनकी आर्थिक सफलता का दूसरों को पता लगा तो उन्होंने भी उनका अनुकरण किया। कलकत्ता से 75 प्रतिशत और मद्रास से 25 प्रतिशत शर्तबन्द मज़दूर फीजी गये।

21 वर्षों में कितने गये ?

फीजी (सूवा) स्थित प्रवासी भारतीयों के एजेंट-जनरल की रिपोर्टों के आधार पर नीचे आरम्भ के कुछ वर्षों की तालिका दे रहे हैं। इन आँकड़ों से ज्ञात होगा कि किस गति से भारत-वासी फीजी आये और वहां से भारत को लौटे भी। यह रिपोर्ट फीजी सरकार की परिषद् द्वारा स्वीकृत है :

वर्ष	नवागन्तुक	कुल योग	वापस	वर्ष के अन्त में संख्या
1879	480	481	—	464
1880	—	494	—	477
1881	—	489	2	474
1882	908	1421	4	1386
1883	992	2411	2	2307
1884	1977	4351	—	4151
1885	1246	5475	10	5252
1886	994	6341	9	6032
1887	—	6193	92	5975
1888	538	6666	119	6366
1889	677	7161	533	6426
1890	1161	7712	149	7382
1891	1040	8644	427	7988
1892	1534	9731	496	8990
1893	777	10020	573	9167
1894	1085	10529	1067	9167
1895	1418	10859	608	6854
1896	1191	11418	684	10476
1897	1331	12248	35	11960
1898	573	13039	413	12397
1899	931	13901	365	13280

21 वर्षों के इन आँकड़ों से ज्ञात होता है कि 1880, 1881 और 1887 में कोई भारतीय फीजी नहीं गया। प्रथम वर्ष (1879) सबसे कम भारतीय (480) गये। इन 21 वर्षों के दौरान 1884 में सबसे अधिक भारतीय फीजी पहुंचे।

इन रिपोर्टों के पढ़ने से ज्ञात होता है कि चीनी मिलों की कम्पनियां फीजी सरकार को भारतीय श्रमिकों के बारे में प्रार्थना-पत्र भेजकर अपनी-अपनी जरूरत की संख्या लिख भेजती थीं। उसी मांग के आधार पर भारत स्थित सरकारी एजेंट श्रमिकों को फीजी भेजते थे।

अपने व्यय पर लौटे

फीजी से अपने व्यय पर लौटने वाले भारतीयों की संख्या नीचे दी जा रही है :

1879	—
1880	—
1881	2
1882	4
1883	2
1884	—
1885	—
1886	1
1887	92
1888	74
1889	179

इन ग्यारह वर्षों के दौरान चार वर्ष ऐसे रहे जिनमें अपना भाड़ा चुका कर भारत कोई नहीं आया। लौटने वालों की सबसे अधिक संख्या 1889 में रही। इसका कारण यह बताया जाता है कि 'मोय' नामक जहाज सीधा कलकत्ता जा रहा था और उसने भाड़ा भी कम कर दिया था।

जागृति के चरण

संदर्भ सूची

'फीजी द्वीप में मेरे 21 वर्ष', लेखक—तोताराम सनाढ्य, प्रकाशक—पं बनारसीदास चतुर्वेदी, ज्ञानपुर, : ज़िला वाराणसी। वितरक –शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, पुस्तक प्रकाशक—अस्पताल रोड, आगरा-3, चतुर्थ संस्करण : 1973।

'फीजी में भारतीय—प्रतिज्ञाबद्ध कुली प्रथा', मूल लेखक—सी० एफ० एण्ड्रयूज़ व डब्ल्यू० डब्ल्यू० पियर्सन, लेखक—एक भारतीय हृदय, प्रकाशक—शिवनारायण मिश्र वैद्य, प्रताप पुस्तकालय, प्रताप आफिस, कानपुर, 1919 ई०।

'फीजी की समस्या', लेखक—बनारसीदास चतुर्वेदी, प्रकाशक—बनारसीदास चतुर्वेदी, सत्याग्रह आश्रम, साबरमती, इलाहाबाद।

'फीजी दिग्दर्शन'—पं० रामचन्द्र शर्मा, अध्यक्ष—श्री रामचन्द्र पुस्तकालय, मण्डावर, बिजनौर, संवत 1994 विक्रमी।

'किसान संघ का इतिहास' प्रथम तथा द्वितीय खण्ड, लेखक—पं० अयोध्या प्रसाद जे० पी० प्रधानमन्त्री—फीजी किसान संघ, लौतोका, प्रकाशक—श्रीकृष्ण शर्मा, विराट भारत कार्यालय, गोंडल रोड, राजकोट 1962।

'मेरा देश मेरे लोग', लेखक—जोगिन्द्र सिंह 'कमल', प्रकाशक—बा बुक सेंटर, बारोका बा, फीजी, 1974।

'धरती मेरी माता', लेखक—जोगिन्द्र सिंह 'कमल', प्रकाशक—पंजाबी पुस्तक भण्डार, दरीबा कलां, दिल्ली-110006, सन् 1978।

'करवट', लेखक—जोगिन्द्र सिंह 'कमल', प्रकाशक—डायमण्ड बुक्स इंटरनेशनल, 2715 दरियागंज,,नई दिल्ली-2, जनवरी सन् 1979।

'सवेरा', लेखक जोगिन्द्र सिंह 'कमल', प्रकाशक—स्टार पब्लिकेशन्स प्रा० लिमिटेड, आसफअली रोड, नई दिल्ली-110002, सन् 1978।

'कुली प्रथा अथवा 20 वीं शताब्दी की गुलामी', लेखक—लक्ष्मण, प्रकाशक—शिव नारायण मिश्र, प्रताप कार्यालय, कानपुर, सन् 1916।

'प्रभा', वर्ष—1, संपादक—गणेश शंकर विद्यार्थी, कृष्णदत्त पालीवाल, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रकाशक—प्रताप कार्यालय, कानपुर 1920।

'साप्ताहिक प्रताप', संपादक—गणेश शंकर विद्यार्थी, प्रकाशक—प्रताप कार्यालय,

कानपुर, सन् 1920 से 1922।

'विशाल भारत', एण्ड्रयूज़ अंक, जनवरी 1941, प्रकाशक—विशाल भारत कार्यालय, 120/2 अपर सर्कूलर रोड, कलकत्ता।

'शांति दूत', गिरमिट शताब्दी अंक, संपादक—जगनारायण शर्मा, प्रकाशक—फीजी टाइम्स प्रेस, सूबा, मई 1979।

'फीजी समाचार', गिरमिट शताब्दी अंक, संपादक—कमला प्रसाद मिश्र, लौतोका, मई 1979।

'फीजी का इतिहास', लेखक—तोताराम सनाढ्य, सत्याग्रह आश्रम, साबरमती (हस्तलिखित)।

'फीजी में गोलीकाण्ड—सामाबूला पुल की लड़ाई', प्रथम भाग, लेखक—पं० गुरुदयाल शर्मा (हस्तलिखित)।

'फीजी में भारतीय—1879 से 1947 तक', लेखिका—डा० रेखा चतुर्वेदी, (शोध का (थिसिस), आगरा विश्वविद्यालय।

'फीजी ऑफ टुडे', लेखक—जे० डब्ल्यू० बर्टन, प्रकाशक—चार्ल्स एच० किली, लन्दन, 1910।

'फीजीज़ इंडियन माइग्रेंट', लेखक—के० एल० गिलियन, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, मेलबोर्न, 1962।

'फीजी इंडियन्स', लेखक—के० एल० गिलियन, आस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी प्रेस, कैनबरा, 1977।

फीजी फ्राम कॉलोनी टु इंडिपेंडेंस, लेखक—डॉ० अहमद अली, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ पैसिफिक, 1977। (फीजी मोनोग्राफ्स सिरीज़ 2)।

'द इंडेंचर एक्सपीरियंस इन फीजी', लेखक—डॉ० अहमद अली, फीजी म्यूजियम का बुलेटिन, संख्या 5, 1979।

'जरनल ऑफ पेसिफिक स्टडीज़', प्रकाशक—स्कूल ऑफ सोशल ऐंड इकानामिक डेवलपमेंट, यूनिवर्सिटी फॉफ साउथ पैसिफिक, खण्ड-11, 1976।

'रामाज़ बेनिशमेंट', सम्पादक—विजय मिश्रा, लेखक—ब्रजलाल, चन्द्रा जयवर्धना, डॉ० अहमद अली, डॉ० जिम, जे० विल्सन, डॉ० रोडनी एफ मोघ, प्रकाशक—हेनेमान एजूकेशनल बुक्स, लन्दन, ऑकलैंड, मेलबोर्न, आदि, 1979।

'ए रिपोर्ट आन इम्मीग्रेन्ट्स रिपेट्रिएटिड टु इंडिया अण्डर एसिस्टेड इम्मीग्रेशन स्कीम फ्राम साउथ अफ्रीका एण्ड आन द प्राब्लम ऑफ रिटर्न टु इम्मीग्रेंट्स फ्रॉम आल कालोनीज़—द्वारा भवानीदयाल संन्यासी ऐंड बनारसीदास चतुर्वेदी, प्रकाशक—भगवान दयाल संन्यासी, प्रवासी भवन, गरखढ़ वाया सासारम (बिहार), 15 मई 1931।

'इंडियनस् एब्राड डाइरेक्टरी', 1934, संपादक—एस० ए० वैज़, प्रकाशक—द इम्पीरियल इंडियन सिटीज़नशिप एसोसिएशन, बाम्बे।

'गिरमिट'—ए सेंटेनरी एन्थोलोजी, संपादक समिति : जयराम रड्डी, डॉ० अहमद अली, डॉ० सत्येन्द्र नंदन, मि० रेमण्ड पिल्लै, मि० सैम बर्विक, प्रकाशक—इन्फर्मेशन डिपार्टमेंट, फीजी सरकार, सूवा।

'एनुअल रिपोर्ट' फीजी, 1922, फीजी सरकार, सूवा।

'फीजी इन्डेंचर लेबर'—ए सप्लीमेंटरी स्टेटमेंट, लेखक—सी० एफ० एण्ड्रयूज़, सितम्बर 1919, प्रकाशक—ए० सी० सरकार, ब्रह्मो मिशन प्रेस, 211 कार्नवालिस स्ट्रीट, कलकत्ता।

'ए नोट आन इंडियन ओवरसीज़', लेखक तथा प्रकाशक—यशपाल जैन, सस्ता साहित्य मण्डल, कनाट सर्कस, नयी दिल्ली, 1965।

'आर्य समाज ऐंड इंडियन्स एब्राड', लेखक—पं० नरदेव वेदालंकार और मनोहर सोमेरा प्रकाशक—सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानन्द भवन, नयी दिल्ली, 1975।

'फीजी रायल गज़ट सप्लीमेंट', 6 अक्तूबर 1970।

'हैंडबुक आफ फीजी', 1972, लेखक—ज्यूडी ट्यूडर, पैसिफिक पब्लिकेशन्स, सिडनी, न्यू साउथ वेल्स।

'फीजी एनुअल रिपोर्ट', 1973, प्रकाशक—टी० सनेरेवे, गवर्नमेंट प्रिंटर्स, सूवा, फीजी (1977)।

'दीनबन्धु सोविनियर', प्रकाशक—दीनबन्धु मेमोरियल स्कूल, इंडियन एसोसिएशन आफ फीजी, पोस्ट बाक्स 3686, सामाबूला, फीजी, 1975 व 1977।

श्री विवेकानन्द एनुअल, 1979, प्रकाशक—श्री विवेकानन्द हाई स्कूल, नान्दी, फीजी।

'सोविनियर' वूनीमोनो सनातन धर्म महामण्डल, नौसोरी, 30 सितम्बर 1979, प्रकाशक—राम सुमेश्वेर यादव, प्रिंसिपल, वूनीमोनो हाई स्कूल।

'100 ईयर्स हिन्दी इन फीजी', लेखक—जे० एस० कमल, प्रकाशक—द फीजी टीचर्स यूनियन, सामाबूला, 1979।

'फेसिस इन ए विलेज',—पोयट्री फ्राम फीजी, लेखक—सत्येन्द्र नन्दन, प्रकाशक—बीती पब्लिशर्स, सूवा, 1976।

'फीजी पार्लियामेंटरी डिबेट्स', अगस्त, 1976 और दिसम्बर, 1976।

'पार्लियामेंटरी डिबेट्स—द सीनेट रिपोर्ट', मार्च-अप्रैल, 1979, सूवा, फीजी।

'फीजी' वाल्यूम 2 नम्बर 3, मई-जून, 1979, मिनिस्ट्री आफ इन्फर्मेशन फीजी।

'इंडियन्स ओवरसीज़—1838-1949, कोनड़पी, सी०, बोम्बे, 1951।

'इंडियन्स ओवरसीज इन ब्रिटिश टेरीटरीज़—1834-1854, लेखक—कम्पस्टन, आई० एम०, डॉ०, फीजीज़ इंडियन माइग्रेन्टस, गिलियन, के० एल०, मेलबोर्न, 1962।

'इम्मीग्रेशन आफ इंडियब लेबर (1834-1900)' सैल पंचानन, दिल्ली, 1970।

'द हार्डिंग पेपर्स' वाल्यूम-1 (जनवरी-जून, 1912), कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी।

'द हार्डिंग पेपर्स' वाल्यूम-2 (जुलाई-दिसम्बर, 1912), कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी

' ,, ,, ' ,, (,, 1913) ,, ,,

' ,, ,, ' ,, (,, 1914) ,, ,,

"द चेम्सफोर्ड पेपर्स' (इंडिया आफिस रिकार्डस)।

'पेपर्स आफ द ऐंटी-स्लेवरी सोसाइटी ऐंड एबोरीजीन्स प्रोटेक्शन सोसाइटी' (रोड्स हाउस, आक्सफोर्ड)।

'इम्मीग्रेशन प्रोसीडिंग्स, 1871-1922' (गवर्नमेंट आफ इंडिया)।

'नोट आफ़ इम्मीग्रेशन फ्राम इंडिया', जोघेगन, जे० कलकत्ता, 1873।

'एनुअल रिपोर्ट आन इम्मीग्रेशन फ्राम द पोर्ट आफ कलकत्ता टु ब्रिटिश रेंज फोरेन कालोनीज, बाई दि प्रोटेक्शन आफ इम्मीग्रेंटस, 1871-1917'।

1904 Cmd. 2105, पेपर्स रिलेटिव टु द लास ऐंड रेगुलेशन्स इन फोर्स इन द कोलोनीज अंडर रेसपोंसिबल गवर्नमेंट, रेस्पेक्टिंग द एडमिशन आफ इम्मीग्रेंटस ।

1910, Cmd. 5192, रिपोर्ट आफ द कमिटी आन इम्मीग्रेशन फाम इंडिया टु द क्राउन कोलोनीज ऐंड प्रोटेक्टेट्स (12-13, युनाइटड किंगडम गवर्नमेंट) ।

'गांधी' कोलेक्टेड वर्क्स, दिल्ली, 1958 (रेफरेंस टु इंडियन इडेंचर इन वाल्युम्स 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ।

'द कुली, हिज राइट्स ऐंड रोंग्स—जान जैकिस, लन्दन, 1871 ।

'फीजी, लिटल इंडिया आफ द पैसिफिक, जे० डब्ल्यू० कोल्टर, शिकागो, 1942 ।

'इंडियन्स इन द एम्पायर ओवरसीज' ए सर्वे, एन० गांगुली, लन्दन, 1947 ।

'कुली शिप्स ऐंड आयल सेलर्स बेसिल, लुब्बोक, ग्लास्को, 1937 ।

पैजेंट्स इन द पैसिफिक; ए स्टडी आफ फीजीज इंडियन रूरल सोसाइटी', एड्रियन, मेयर, लन्दन 1961 ।

'एन इन्ट्रोडक्शन टु द स्टडी आफ प्राब्लम्स आफ ग्रेटर इंडिया', के० एम०, पणिक्कर, मद्रास, 1916 ।

'ओड मैन आउट, द कैरियर आफ मणिलाल डाक्टर', ह्यू ग टिकर, द जरनल आफ इम्पीरियल एंड कामनवैल्थ हिस्ट्री, अक्तूबर 1973 ।

गवर्नमेंट ऐंड पोलिटिक्स आफ इंडिया ऐंड पाकिस्तान 1885-1955, संपादक—पैट्रिक विल्सन ।

'स्लेवरी इन ब्रिटिश इंडिया', डी० आर० बनर्जी, बाम्बे, 1933 ।

एनुअल रिपोर्ट आन इम्मीग्रेशन इनटु फीजी, (फीजी, 1908) ।

एनुअल रिपोर्ट आफ द प्रोटेक्टर आफ इम्मीग्रेंटस, कलकत्ता, 1905 ।

'रिपोर्ट आन इम्मीग्रेशन', डी० जी० पीचर । 'इन्क्वायरी आन इम्मीग्रेशन', जी० ए० ग्रीयर्सन ।

रिपोर्ट आन द कंडीशन आफ इंडिया इम्मीग्रेंटस इन द फोर ब्रिटिश कोलोनीज आफ त्रिनिदाद, ब्रिटिश गयाना, जमैका ऐंड फीजी; शिमला, 1914 । लेखक—मेकनील और चिम्मनलाल ।

'रिपोर्ट आन द इंडियन इम्मीग्रेशन कमीशन, 1885-87 ।

प्रोसीडिंग्स आफ द इंडियन लेजिस्लेटिव कौंसिल, 1912-1914. 1916-18 ।

इंडियन इम्मीग्रेशन ऐक्ट, 'इंडिया ऐंड द पैसिफिक, सी० एफ० एण्ड्रयूज, लन्दन, 1937 ।

'ए न्यू सिस्टम आफ स्लेवरी', ह्यू ग टिकर, लन्दन ।

'आडियल आफ लव'. सी० एफ० एण्डयज. विकास पब्लिशर्स कम्पनी, नयी दिल्ली । □

National Institute of Education
Library & Documentation
Unit (N.C.E.R.T.)
Acc. No. F 15912
Date 12.9.85